

राष्ट्रीय लोक अदालत

आदेश

आज दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में चालानी पेश हुई। उक्त चालानी दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 के मध्य की है। अतः उत्तर प्रदेश शासन के असाधारण गजट दिनांकित 22.03.2023 के अनुक्रम में उक्त चालानी उमशमित की जाती है। चालानी बाद आवश्यक कार्यवाही नियमनुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मेघा अग्रवाल),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /
त्वरित न्यायालय,
कौशाम्बी।
ID NO.2501